



SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)

Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India

Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

dc

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President

Adv. R.P. Khaitan (U.P.)

Dr. R.P. Verma (Punjab)

Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)

Naved Chopra (M.P.)

Rajesh Wankhede (MH)

Vice President (U.P.)

Prof. (Dr.) Shivpal Singh

Sharad Aggarwal

Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)

Monika Chauhan

Dr. Ajay Kumar

Rajeev Chauhan

Dr. Anil Chandel

Mayank Aggarwal

Pradeep Yadav

Executive Board Member

Dr. Gaurav Varshney

Deepak Aggarwal

Prof. (Dr.) Harish Vaish

Dr. Shikha Kaushik

Dr. Vineeta Sharma

Vishal

Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Itanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargava
SFCF
Kalit Yadav


Ref. No:-2025/10/SFCF/128

Date:-27-10-2025

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,

चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।



विषय :- प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक नामित करने में किये जा रहे परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

"फेडरेशन" के संज्ञान में आया है की विवि० द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षकों को नामित किये जाने के लिए संचालित पूर्ववत व्यवस्था को ऑनलाइन व्यवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है साथ ही कुछ बदलाव भी किये जा रहे है जो की परीक्षक को संस्थानों पर एकाधिकार प्रदान करने जैसे है और यह उचित नहीं है। विवि० की मंशा है की प्रयोगात्मक परीक्षाये शीघ्रता से पूर्ण होकर परीक्षाफल जारी हो लेकिन जो व्यवस्था भविष्य के लिए क्रियान्वित की जा रही है वो पूर्णतया आने वाले समय में समस्या को जन्म देगी। "फेडरेशन" इस विषय में आपसे अग्रलिखित सुझावों पर विचार -विमर्श करने का अनुरोध करती है।

1 - ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए उपलब्ध कराये जा रहे सभी परीक्षक ऑफलाइन की तरह लाइव हो और उपलब्धता के आधार पर परीक्षा कराने की अनुमति संस्थान को दी जाये, किसी एक परीक्षक को एकाधिकार देना परीक्षा व्यवस्था को बाधित करने का कार्य करेगा।

2 - ऑफलाइन माध्यम में विवि० 03 परीक्षक उपलब्ध कराता है इस संख्या को बढ़ाकर 06 किया जाये ज्यादा परीक्षक होने पर संस्थानों को समय से परीक्षक मिल सकेगा और शीघ्रता से परीक्षा संपन्न होगी। परीक्षक अपने अनुसार समय प्रदान करता है जिससे संस्थानों को शीघ्रता से परीक्षा कराने का समय नहीं मिलता है और परीक्षा नहीं कराने का दायित्व संस्थानों पर आता है जबकि अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षक की कार्यप्रणाली इसको बाधित करती है।

3 - एक ही परीक्षक कई बार विभिन्न संस्थानों में नामित होता है जिसके कारण वो सहमति तो देता है लेकिन समय अपने अनुसार देता है जिससे परीक्षा विलम्ब से होती है इसलिए अधिक संख्या में उपलब्ध परीक्षकों से समय से परीक्षा शीघ्रता से कराया जाना संभव हो सकेगा।

27.10.25

27/10/25

27/10/25

4 - पोर्टल पर विवि0 जिस व्यवस्था को लागू करने की कार्ययोजना बना रहा है उसमे परीक्षक लिंक को स्वीकार करेंगे और मनमाना समय देंगे जिससे परीक्षा की अवधि अनावश्यक रूप से बढ़ेगी, इसलिए सभी नामित परीक्षकों से परीक्षा कराने की स्वतंत्रता प्रदान की जाये, क्योंकि विवि0 का कार्य समय से परीक्षा कराना है ना की वर्ग विशेष के लिए एकाधिकार व्यवस्था का सृजन करना।

5 - ऑनलाइन पोर्टल पर विवि0 का प्रयास है की पहले एक परीक्षक उपलब्ध हो उसके स्वीकृत करने पर परीक्षा और गोपनीय कोड उसके पास रहे और वो परीक्षा कराये इसके बाद उसकी असहमति की दशा में अग्रिम परीक्षक का नाम प्रदर्शित हो जो की पूर्णतया परीक्षक को एकाधिकार देने वाला है और इससे परीक्षक द्वारा मनमाने तरीके से परीक्षा के लिए समय उपलब्ध कराया जायेगा जिससे परीक्षा विलम्ब होगी और विवि0 समय से परीक्षाफल जारी नहीं कर सकेगा साथ ही गोपनीय कोड जैसी व्यवस्था से एक अप्रत्यक्ष मनमानी प्रारम्भ होगी जैसा की बी0एड0 की परीक्षाओ में होता आ रहा है और उससे आपसे अनभिज्ञ नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था से स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए आप अप्रत्यक्ष रूप से शोषण का रास्ता प्रशस्त करेंगे जो की कदापि उचित नहीं है।

6 - स्ववित्तपोषित संस्थानों के परीक्षकों को सहायता प्राप्त संस्थानों में भी परीक्षक नामित किया जाये।

7 - स्ववित्तपोषित संस्थानों के परीक्षकों की विषयवार सूची को वेबसाइट पर लाइव किया जाये और एक सप्ताह में उस सूची पर आपत्ति प्राप्त की जाये जिससे कोई परीक्षक अगर जुड़ने से रह गया है तो वो अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध करा सके, उसके बाद फाइनल सूची लाइव करने के बाद उसमे से परीक्षक नामित किये जाये।

8 - परीक्षकों को वन टाइम पासवर्ड जैसी व्यवस्था से आवंटन कदापि नहीं किया जाये सीधे पोर्टल पर परीक्षक उपलब्ध हो और संस्थान जिस भी परीक्षक से समय मिले उससे परीक्षा संपन्न करा ले ताकि परीक्षाफल समय से जारी हो सके। उल्लेखनीय है की प्रदेश के कई विवि0 में बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित परीक्षकों की सूची संस्थानों को उनके लॉगिन पर उपलब्ध करा दी जाती है और उसमे उपलब्धता के आधार पर परीक्षा संपन्न कराते है।

9 - परीक्षकों में बार बार एक ही परीक्षक परीक्षा नहीं ले इसके लिए आप पोर्टल पर इस प्रकार की व्यवस्था करे की जो परीक्षक किसी भी संस्थान में एक सेमेस्टर में परीक्षा ले उसको आगामी सेमेस्टर में उस संस्थान में परीक्षा लेने की अनुमति सॉफ्टवेयर से ही वर्जित हो जाये, इससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति पर विराम लगेगा की कोई भी संस्थान एक ही परीक्षक से बार बार परीक्षा करा रहा है और इससे अन्य परीक्षकों को भी अवसर प्रदान होते रहेंगे।

10 - नामित परीक्षकों की उपलब्धता नहीं होने की दशा में संस्थान ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन माध्यम से ही अन्य परीक्षक की माँग करे और उसको तय अवधि में दूसरे परीक्षक ऑनलाइन ही उपलब्ध करा दिया जाये। दोबारा नामित परीक्षकों में भी कम से कम 03 परीक्षकों के नाम दिए जाये जिससे सहजता से उपलब्धता हो सके और परीक्षा ससमय संपन्न हो सके।



27/10/25

27/10/25

27/10/25

11 - स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए कोई भी योजना लागू किये जाने से पहले अनुरोध है की कृपया संस्थानों का पक्ष सुना जाये, स्ववित्तपोषित संस्थानों की संख्या 664 से भी अधिक है और उनके पक्ष सुने बिना कोई भी नवीन व्यवस्था लागू किया जाना ना तो लोकतान्त्रिक है और ना ही न्यायोचित है। "फेडरेशन" इस प्रकार से की जा रही किसी भी व्यवस्था का पुरजोर विरोध करती है।

अतः आप से हम आशा करते है की स्ववित्तपोषित संस्थानों के अधिकारों के रक्षार्थ आप लोकतान्त्रिक एवं न्यायोचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सुझावों को लागू करेंगे।

आदर सहित

प्रतिलिपि :-

1/ माननीय कुलपति, चौधरी चरण सिंह विवि, मेरठ

Wly
27.10.25
(एड० नितिन यादव)
अध्यक्ष

Deidhi Shukla
27/10/25
प्र० (डॉ०) निधि शुक्ला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

Wly
प्र० (डॉ०) आनन्द सिंह
वरिष्ठ महासचिव

